न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 124/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सकीना पुत्र इब्राहीम जाति मेव मुसलमान निवासी ग्राम फकरूदीनका तहसील तिजारा जिला अलवर

2. हनीफ पुत्र इब्राहीम जाति मेव मुसलमान निवासी ग्राम फकरूदीनका तह0 तिजारा जिला अलवर ।

:––– अपीलांटस

बनाम

1 एम0 एम0 रियल्टी भागीदार फर्म रजिस्टर्ड कार्यालय एफ–1, गोविन्द मार्ग, राजापार्क, जयपुर जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 प्रभूदयाल शर्मा

:–––– असल रेस्पो0

2 तहसीलदार तिजारा

3 उप पंजीयक भिवाडी जिला अलवर

:––––– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,तिजारा दिनांक 19.9.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री महेन्द्र सिंह यादव

2. वकील रेस्पो0 :– श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

निर्णय दिनांक 17.03.21

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/15 अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 19.9.16 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त वाद डिक्री गया है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी असल रेस्पो0 ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 423/457 रकबा 2.14 में से 2/3 हिस्सा वाके ग्राम लादिया तहसील तिजारा प्रतिवादी सकीना से खरीदा था । परन्तु बयनामा लिपिकीय त्रुटि के कारण 2/3 के स्थान पर 1/3 अंकित हो गया है, जिसे दुरूस्त किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद डिक्री किया है । जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने बताया कि तहत अदालत ने हमको बिना सुने निर्णय पारित किया है । हमारी कोई तामील नहीं हुई थी । वादी ने तहत अदालत में शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी हमको कोई सूचना नहीं दी गई और हमारी गलत तौर पर तामील मानकर शीघ्र सुनवाई करते हुये निर्णय पारित कर दिया, जो कि न्यायोचित नहीं है । अतः हमारी सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 असल का कथन है कि अगर इनको लगता है कि इनकी गलत तौर पर इकतरफा कर दी गई है तो उस इकतरफा को खुलवाने के लिये तहत अदालत को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत करते । अपील प्रस्तुत नहीं कर सकते । हमने 2/3 हिस्से की भूमि खरीदी थी, परन्तु बयनामा में सहवन से 1/3 भाग दर्ज हो गया । जिसे दुरूस्त कराने हेतु हमने वाद पत्र प्रस्तुत किया है । धारा 91 आर0 टी0 एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति वाद ला सकता है । इनकी प्रोपर तामील हुई है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील ने अपनी बहस के समर्थन में आर0 टी0 एक्ट की धारा 91 के प्रावधान प्रस्तुत किये ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया । अपीलांट ने मुख्य आपत्ति तामील पर उठाई है । जिसके सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया । तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 23.6.2106 के अनुसार प्रकरण में इकजाई आगामी पेशी दिनांक 13.10.2106 नियत की गई थी । परन्तु दिनांक 13.10.2016 से पूर्व ही वादी ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पेशी दिनांक 7.9.16 नियत करवा ली और उक्त दिनांक 7.9.16 को ही प्रतिवादी अपीलांट की इकतरफा कर दी गई । जबकि शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र की सूचना प्रतिवादी अपीलांट को नहीं दी गई । प्रतिवादी अपीलांट की सम्यक रूप से तामील नहीं करवाई गई और वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्रतिवादी अपीलांट की इकतरफा कर दी गई, जिसे कि विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.9.16 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्दे श के साथ रिमांड किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 15.04.2021 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर